प्रेस नोट **21/04/2024**

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 03 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 28 मामलों में से 10 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 21.04.2024 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस लाइन सभागर में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 28 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 10 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 03 दंपति मैशरा परवीन/अमजद, निशा चौरसिया/अर्जुन, फूलमति/बबलू आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 01 मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा 06 मामले बन्द किये गये। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 05.05.2024 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 पूनम पाल, करिश्मा राय उपस्थित रही।

आज दिनांक 21.04.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय में नियुक्त कार्य सरकार के अलावा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा नगर क्षेत्र के प्रशिक्षु उ0नि0 और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस लाइन के परिसर में श्रमदान किया गया तथा प्रशिक्षु उ0नि0 को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ब्रीफिंग की गई।

आज दिनांक 21.04.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह व उ0नि0 ओमप्रकाश गुप्ता फायर सर्विस द्वारा यूपी 112 प्रशिक्षण केंद्र में पुलिसकर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के बारे में डेमो देकर बताया गया साथ ही साथ डायल 112 वाहनों के इवेंट अनुसार लाइटिंग के उपयोग व सायरन के प्रयोग के बारे में तथा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी दी गई।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 21.04.2024 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर बाजार के पास से मु0अ0सं0 44/24 धारा 354बी,323,506,452 भादवि में वांछित अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र रामलाल चौहान निवासी कुसउत थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।